

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में  
राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट

को समाप्त महीने के लिए

क्षेत्र/विभाग का नाम:

संबंधित राजभाषा नोडल अधिकारी का फोन नं. :

ई-मेल :

1 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात \* ।

क्र. सं.	कागजात	कुल संख्या	द्विभाषी रूप में	केवल अंग्रेजी में	केवल हिंदी में
1	कार्यालय आदेश/ सामान्य आदेश				
2	सूचनाएँ				
3	प्रेस विज्ञप्तियाँ				
4	संविदाएँ				
5	निविदा फॉर्म और सूचनाएँ				
6	संसद के एक या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज-पत्र (रिपोर्टों के अलावा)				
7	संसद के एक या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें				
8	प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें जो अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजी गईं				

2 हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5) ।

हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे

3 अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए) ।

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
'क' क्षेत्र से				
'ख' क्षेत्र से				

4 भेजे गये कुल पत्रों का विवरण ।

	हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी/द्विभाषी पत्रों का प्रतिशत
'क' क्षेत्र से				
'ख' क्षेत्र से				
'ग' क्षेत्र को				

5 फाइलों पर हिंदी में कार्य ।

माह के दौरान लिखी गई टिप्पणियाँ	हिंदी में	अंग्रेजी में	कुल संख्या

'क' क्षेत्र - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ।

'ख' क्षेत्र - पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ ।

'ग' क्षेत्र - शेष सभी राज्य ।

महाप्रबंधक /विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर